निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 438) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

11 फरवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(मुक0)–मुज0–19–122/97/439—श्री जगदीश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति दिवंगत को डुमरिया शाखा नहर के संरचनाओं के निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह से स्पष्टीकरण किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 01.06.1990 द्वारा श्री सिंह को निलंबन करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर गई। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 707 दिनांक 08.04.1996 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह को डुमरिया शाखा नहर के आर0 डी0–6.48/ पर सी0 डी0 वर्क्स निर्माण के क्रम में डिवाटरिंग मद के लिए संवेदक को 3,58,969/– रूपये से अधिक भुगतान के लिए दोषी पाया गया एवं प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0 68 सह पठित ज्ञापांक 383 दिनांक 01.02. 1997 द्वारा श्री सिंह को निम्न दंड संसूचित किया गया।

(क) देय तिथि से पॉच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

(ख) 3,58,969/– रू0 का एक तिहाई रू0 1,19,516/– की वसूली प्रतिमाह 2,000/– रू0 की दर से और उनकी सेवानिवृति के कारण बकाये की राशि की वसूली उनके देय पावनाओं से एकमुश्त कटौती की जायेगी।

(ग) श्री सिंह को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, लेकिन इसकी गणना पेंशनार्थ प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 1831/1997 दायर किया गया जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.1997 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश सं0 672 दिनांक 09.07.1997 द्वारा पूर्व में विभागीय आदेश सं0 68 सह पठित ज्ञापांक 383 दिनांक 01.02.1997 द्वारा निर्गत दंडादेश के कंडिका (ख) को संशोधित करते हुए श्री सिंह से 28,333.33/– (अठाईस हजार तीन सौ तैंतीस रूपये एवं तैंतीस पैसे) की वसूली वेतन से बराबर मासिक किस्तों में किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री सिंह के दिनांक 05.04.2000 को दिवंगत हो जाने के कारण श्री सिंह की पत्नी श्रीमती शान्ति सिन्हा मामले में वादी के रूप में शामिल हुई। जिसमें दिनांक 22.07.2014 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम न्याय निर्णय पारित किया गया। न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा आदेश सं0 68 सह पठित ज्ञापांक 383 दिनांक 01.02.1997 द्वारा निर्गत दंडादेश की कंडिका क, ख एवं ग में अंकित तीनों दंडों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय से श्रीमती शान्ति सिन्हा पति स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह, सैदानी चक, थाना– फुलवारीशरीफ, जिला– पटना को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 438-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in